

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 2/1/24

रीडर/2023/ 38  
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण


1 हीराराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी अणदाणियों का तला, दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।

1 भैराराम पुत्र नवलाराम 2 मेहराराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी अणदाणियों का तला 3 मेहाराम 4 अरजनराम पिसरान ताजाराम 5 तगाराम 6 प्रहलादराम पिसरान अचलाराम 7 मीरों पत्नी पूनमगर 8 मोहनगर पुत्र पूनमगर जाति गोस्वामी निवासी शिव भाखरी नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 90/2023 दिनांक- 22/12/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अणदाणियों का तला पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 647/99 रकबा 17.5795 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 2/1/24

क्रमांक :- रीडर/2023/ 39 to 42

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दूदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हीराराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी अणदाणियों का तला, दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भैराराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी अणदाणियों का तला, दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर